प्रकीर्ण

धारा 21 : केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों का लागू होना

इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित से संबंधित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्ध,–

(i) प्रदाय की परिधि;

[1]**(ii)** सम्मिश्रण उद्ग्रहण;

(iii) संयुक्त प्रदाय और मिश्रित प्रदाय;

(iv) प्रदाय का समय और मूल्य;

[2]**(v)** इनपुट कर प्रत्यय;

(vi) रजिस्ट्रीकरण;

[3]**(vii)** कर बीजक, प्रत्यय और नामे नोट;

(viii) लेखा और अभिलेख;

(ix) विवरणियां;

(x) कर का संदाय;

(xi) स्त्रोत पर काटा गया कर;

(xii) स्त्रोत पर कर संग्रहण;

(xiii) निर्धारण;

(xiv) प्रतिदाय;

---

1 संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर (कठिनाईयों का निवारण) आदेश, 2019 [आदेश सं. 1/2019–संघ राज्य क्षेत्र कर] दिनांक 01.02.2019 द्वारा निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है :

यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा –

(i) धारा 10 की उप–धारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में;

(ii) कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में उसके सकल व्यापारवर्त की गणना करनें में।

2 संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर (कठिनाईयों का तीसरा निवारण) आदेश, 2019 [आदेश सं. 3/2019–संघ राज्य क्षेत्र कर] दिनांक 29.03.2019 (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019) द्वारा निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है :

कठिनाईयों के निवारण के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, जिनपर कर लगता हो, जिनमें कि जीरो रेटेड आपूर्तियों और छूट प्राप्त आपूर्तियाँ भी आती है, से संबंधित क्रेडिट राशि का निर्धारण उस कॉम्पलेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर के या उसके हिस्से के निर्माण के क्षेत्रफल पर आधारित होगा जो कि कर योग्य है और छूट प्राप्त है।

3 संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर (कठिनाईयों का द्वितीय निवारण) आदेश, 2019 [आदेश सं. 2/2019–संघ राज्य क्षेत्र कर] दिनांक 08.03.2019 द्वारा निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है :

कठिनाईयों के निवारण के लिए, एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के खंड (vii) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के उपवाक्य (ग) प्रावधान उसी व्यक्ति पर लागू होंगे जो कि अधिसूचना संख्या 2/2019–संघ राज्यक्षेत्र की (दर), दिनांक 07.03.2019, जिसे सा.क.नि. संख्या 191 (अ), दिनांक 7 मार्च, 2019 के तहत् भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो।

(xv) संपरीक्षा;

(xvi) निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी;

(xvii) मांग और वसूली;

(xviii) कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व;

(xix) अग्रिम विनिर्णय;

(xx) अपील और पुनरीक्षण;

(xxi) दस्तावेजों के बारे में उपधारणा;

(xxii) अपराध और शास्तियां;

(xxiii) छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार;

(xxiv) इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य;

(xxv) निधियों का परिनिर्धारण;

(xxvi) संक्रमणकालीन उपबन्ध; और

(xxvii) प्रकीर्ण उपबंध, जिनके अंतर्गत ब्याज और शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंधित भी है,

यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित,–

(क) जहां तक हो सके, संघ राज्यक्षेत्र कर के संबंध में, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे केन्द्रीय कर के संबंध में इस प्रकार लागू होते हैं, मानो वे इस अधिनियम के अधीन अधिनियमित किए गए हों;

(ख) निम्नलिखित ऐसे उपांतरणों और परिवर्तनों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार परिस्थतियों के अनुसार उन उपबन्धों को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक और वांछनीय समझती है, अर्थात् :

(i) ''इस अधिनियम'' के प्रति निर्देश, ''संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017'' के प्रति निर्देश समझे जाएंगे;

(ii) ''आयुक्त'' के प्रति निर्देश इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (2) में यथापरिभाषित संघ राज्यक्षेत्र का ''आयुक्त'' के प्रति निर्देश समझे जाएंगे;

(iii) ''केन्द्रीय कर अधिकारियों'' के प्रति निर्देश ''संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारी'' के प्रति निर्देश समझा जाएगा;

(iv) ''केन्द्रीय कर'' के प्रति निर्देश ''संघ राज्यक्षेत्र'' और विपर्ययेन के प्रति निर्देश समझा जाएगा;

(v) ''राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त'' के प्रति निर्देश ''केन्द्रीय कर आयुक्त'' के प्रति निर्देश समझे जाएंगे;

(vi) ''राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम'' के प्रति निर्देश ''केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम'' के प्रति निर्देश समझे जाएंगे;

(vii) ''राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर'' के प्रति निर्देश ''केन्द्रीय कर'' के प्रति निर्देश समझे जाएंगे।